

राजस्थान सरकार  
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान  
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक- एच/एफएसएसए/2011/

दिनांक


समस्त संयुक्त निदेशक (जोन)  
राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- दीपावली के अवसर पर दिनांक 18.10.11 से 28.10.11 तक विशेष अभियान  
चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण बाबत।

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य) के  
पत्र क्रमांक एच/एफएसएसए/2011/612 दिनांक 03.10.11 एवं पत्रांक 615 दिनांक  
10.10.11 की ओर आकर्षित कर लेख हैं कि उक्त पत्रों द्वारा आपको दीपावली के अवसर पर  
दिनांक 18.10.11 से 28.10.11 तक विशेष अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण कार्य  
हेतु विशेष दल गठित कर गठित दल की सूची दिनांक 10.10.11 को दोपहर 2.00 बजे तक  
अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आपके स्तर से सूचना अब तक  
अपेक्षित हैं।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि गठित दल की सूचना दिनांक 18.10.11 को  
प्रातः 11.00 बजे तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि  
पूर्ण स्थिति से राज्य सरकार/माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया जा सके।


  
डॉ० जे० पी० धमीजा)  
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक- एच/एफएसएसए/2011/ 637

दिनांक 17/10/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
2. प्रभारी, सर्वर रूम, को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को नेट पर डलवाने का श्रम करें।

  
डॉ० जे० पी० धमीजा)  
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं  
अति० निदेशक (ग्रा० स्वा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर